न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक
राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अटल सेवा केन्द्र ककोड
(श्री सुभाष चन्द शर्मा,आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

दावा संख्या :— 35 / 2010
निर्णय दिनांक— 11.7.2015

उनवान

1.रामप्रकाश पुत्र भूरा जाति धाकड निवासी ग्राम भीमगंज तहसील उनियारा जिला टोंक
2.प्रहलाद पुत्र शंकरलाल जाति धाकड निवासी ग्राम भीमगंज तहसील उनियारा जिला टोंक

— वादीगण

बनाम

1.राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर टोंक राज0
2.तहसीलदार तहसील उनियारा मु0 अलीगढ जिला टोंक

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित— श्री के0एल0ताडा, वकील वादीगण
पेरोकार राज नायब तहसीलदार उनियारा

निर्णय

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार है:—

यह कि वादीगण के स्वामित्व व आधिपत्य की आराजी ख0न0 356 रकबा 1.92 है0 वाके ग्राम भीमगंज तहसील उनियारा जिला टोंक मे स्थित है। जिसमे वादी न0 1 का 0.75 है0 एवं वादी न0 2 का 0.75 है0 कुल 1.50 है0 वाके ग्राम भीमगज पर बतोरे मालिक व स्वामी कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादग्रस्त आराजी वादीगण के पिता भूरा व शंकर को दिनाक 8.10.77 को साबिक ख0न0 276 मे से प्रत्येक को 3—3 बीघा भूमि आवंटन हुई थी। जिसका नामान्तरकरण भी वादी न0 1 के पिता भूरा पुत्र माधो व वादी न0 2 के पिता शंकर पुत्र माधो के नाम गैरखातेदारी मे दर्ज हो चुका है। जब तक वादीगण के पिता जिवित रहे वे काबिज काश्त रहे तथा उनकी मृत्यु के बाद वादग्रस्त आराजी पर वादीगण काबिज काश्त करते चले आ रहे है। दौराने सेटलमेन्ट सेटलमेन्ट कर्मचारियो ने उक्त आराजी को वादीगण के नाम गेरखातेदारी मे दर्ज नही कर सिवायचक मे दर्ज कर दिया, जिसका सेटलमेन्ट विभाग को कोई अधिकार नही था । वादग्रस्त आराजी राजस्व रेकार्ड मे सिवायचक दर्ज हो जाने से पडोसी काश्तकार जबरन कब्जा करने पर आमादा है तथा पटवारी हल्का बेदखल करने की धमकी देते है।

यह कि वादीगण की अधियाचना है कि वाद पत्र बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस प्रकार डिक्री फरमाया जावे कि आराजी ख0न0 356 मे से वादी न0 1 को 0.75 है0 व वादी न0 2 को 0.75 है0 वाके ग्राम भीमगंज तहसील उनियारा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी मे दुरुस्ती कर सिवायचक का अंकन हटाया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वह उक्त वर्णित आराजी मे किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत नही करे, ना ही बेदखल करे।

प्रकरण राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत ककोड पर प्रस्तुत हुआ। वादीगण व पेरोकार उपस्थित दोनो पक्षों को सुना गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध नकल नामान्तरकरण पंजिका ग्राम भीमगंज के नामान्तरकरण संख्या 92 व 89 ख0न0 276/1 मे 3 बीघा शंकर पुत्र माधो धाकड सा. गैर खातेदारी व साबिक ख0न0 276 मे 3 बीघा भूरा पुत्र माधो धाकड सा0 देह गैर खातेदार दर्ज है। नकल मिलान क्षैत्रफल

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा (टोंक)

के अनुसार साबिक आराजी ख0न0 276/1 से हाल ख0न0 356 रकबा 3.28 है0 कायम हुआ है। प्रस्तुत पी014 की नकलो से भी वादग्रस्त आराजी पर वादीगण का अतिक्रमण कब्जा होना स्पष्ट है। पेरोकार राज नायब तहसीलदार उनियारा ने भी अपनी रिपोर्ट मे 136 के तहत दोनों आवंटियों का राजस्व रेकार्ड मे अमल किया जाना उचित बताया है। अतः राजस्व लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुये वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

अतः वाद बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है। तहसीलदार उनियारा को आदेशित किया जाता है कि वे आराजी ख0न0 356 वाके ग्राम भीमगंज तहसील उनियारा मे 0.75 है0 वादी न0 1 व 0.75 है0 वादी न0 2 के नाम खातेदारी मे दर्ज कर राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करे। पर्चा डिक्री जारी हो। फरीकेन खर्चा अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 11.7.2015 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सुभाषचन्द शर्मा
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा

Scanned by CamScanner

(मूल वाद मे डिकी) प्रपत्र –5

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/ केम्प कोर्ट) अटल सेवा केन्द्र ग्रा0प0 ककोड

उनवान

1 रामप्रकाश पुत्र भूरा जाति धाकड निवासी ग्राम भीमगंज तहसील उनियारा जिला टोंक

2 प्रहलाद पुत्र शंकरलाल जाति धाकड निवासी ग्राम भीमगंज तहसील उनियारा जिला टोंक

– वादीगण

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर टोंक राज0

2 तहसीलदार तहसील उनियारा मु0 अलीगढ जिला टोंक

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत उदघोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर :– 35 वर्ष 2010

वादीगण की ओर से श्री के0एल0ठांडा वकील वादीगण प्रतिवादी की और से पेरोकार राज नायब तहसीलदार उनियारा की उपस्थिति मे इस वाद मे आज तारीख 11.7.2015 को श्री सुभाषचन्द शर्मा, आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी उनियारा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिकी दी जाती है कि तहसीलदार उनियारा को आदेशित किया जाता है कि वे आराजी ख0न0 356 वाके ग्राम भीमगंज तहसील उनियारा मे 0.75 है0 वादी न0 1 व 0.75 है0 वादी न0 2 के नाम खातेदारी मे दर्ज कर राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करे। पर्चा डिकी जारी हो। फरीकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11 माह 7 सन् 2015 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक

Scanned by CamScanner